

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1973/अग्रहायण 21, 1895

No. 301] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 1973/AGRAHAYANA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th December 1973

SUBJECT.—Supply of imported steel for export production

No. 216-ITC(PN)/73.—Attention of all registered exporters is invited to the Ministry of Commerce, Public Notice No. 172-ITC(PN)/73, dated 18th October, 1973 on the subject mentioned above.

2. On a review, it has been decided that in respect of release orders, issued under Public Notice No. 56-ITC(PN)/72, dated the 18th April, 1972, and which are required to fulfil satisfactorily the conditions of Public Notices No. 86-ITC(PN)/73 dated 5th June, 1973 and No. 105-ITC(PN)/73, dated 23rd June, 1973, the renegotiation of contracts so as to obtain the minimum added value of 25 per cent, should be completed and the renegotiated contracts should be submitted to the Engineering Export Promotion Council, Calcutta, by the 31st January, 1974 at the latest, failing which the release orders would be treated as cancelled and no supply of imported steel would be arranged by the Hindustan Steel Ltd.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1973

विषय.—निर्यात उत्पादन के लिए आयातित इस्पात का संभरण ।

सं० 216-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—उपर्युक्त विषय पर, सभी पंजीकृत निर्यातकों का ध्यान वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 172-आई० टी० सी० (पीएन)/73, दिनांक 18 अक्टूबर, 1973 की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. पुनरीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि सार्वजनिक सूचना संख्या : 56-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 18 अप्रैल, 1972 के अनुसार, जारी किए गए रिहाई आदेशों के सम्बन्ध में और जिनको सार्वजनिक सूचना संख्या : 86-आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 5-6-73 तथा संख्या 105-आई० टी० सी० (पीएन)/73, दिनांक 23-6-73 की शर्तें संतोषजनक ढंग से पूरी करनी थी, 25 प्रतिशत के न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त किया जा सके, संविदा सम्पन्न की जानी चाहिए और सम्पन्न की गई संविदाओं को अभियांत्रिक, निर्यात संबंधित परिषद्, कलकत्ता को अधिक से अधिक 31 जनवरी, 1974 तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इसमें, असफल होने पर रिहाई आदेश को रद्द किया गया समझा जाएगा और हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा आयातित इस्पात का संभरण करने की व्यवस्था नहीं की जाएगी ।

एस० जी० बोस० मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।